# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

## पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 97 / 2023

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
| --- | --- | --- |
| 1 कैलाश पंवार पुत्र हरीशकर जाति जाति दर्जी निवासी पतालिया जाव सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली। | | 1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत तहसील सोजत जिलापाली राजस्थान। |

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री मुकेश भाटी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक :– 04/03/24

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी तहसीलदार सोजत अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा धाकड़ी प0ह0 धाकड़ी तह0 सोजत के खसरा नंबर 2474 / 2275 रकबा 0.2350 हैक्टेयर किस्म जाव सोयम में पहुंचने के लिए 30 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी संख्या 2 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज सिवाय चक भूमि के खसरा संख्या 2274 रकबा 0.2200 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि में से होकर नया मार्ग अपनी खातेदारी खसरा नंबर 2474 / 2275 में जाने हेतु आशय रखता है। इसलिए प्रार्थीया द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' के तहत आवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ राजस्व रेकर्ड अनुसार नजरी नक्शा परिशिष्ट 'क' पेश किया है। जिसमें प्रार्थी के खसरा नंबर 2474 / 2275 जिसे आसमानी रंग से दर्शाया गया है, में पहुंचने हेतु अप्रार्थी के खसरा नंबर 2274 में से रास्ता को अ, ब, स, द लाल रंग से दर्शाया है, प्रार्थी की अपनी कृषि भूमि पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने, कृषि कार्य हेतु ट्रेक्टर, गाड़ी, छकडा इत्यादि लाने ले जाने हेतु रास्ते की आत्यान्तिक आवश्कता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थी के खेत तक पहुंचने के लिये निकटतम व लघुतम रास्ता है। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते की राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम धाकड़ी के खसरा नंबर 2474 / 2275 रकबा 0.2350 हैक्टेयर की भूमि में आवागमन हेतु सरकारी राजकीय सिवायचक भूमि सरहद मौजा धाकड़ी में स्थित भूमि के खसरा संख्या 2274 रकबा 0.2200 हैक्टेयर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार अ, ब, स, द से दर्शित 30 फुट चौड़ा रास्ता आने जाने हेतु दिलाया जाने एवं उक्त रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

जबाब प्रार्थना पत्र किया, सा0मि0 है। तहसीलदार सोजत से हस्तगत प्रकरण में मौका स्थिति व मौका रिपोर्ट 03 बिन्दुओ के परिपेक्ष्य में चाही गई तहसीलदार सोजत न जांच कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा सरकारी ख.नं. 2274 रकबा 0.2250 हैक्टेयर में से रास्ता चाहा है। उक्त सिवायचक भूमि मौके पर खाली व पड़त है तथा वादी वर्तमान में इसी भूमि में से आवागमन कर रहा है। वादी को नियमानुसार रास्ता दिया जाना उचित है। प्रस्तावित रास्ता को ए.बी.सी.डी. है। मौके पर जांच पश्चात् नजरी नक्शा अनुसार रास्ता प्रस्तावित किया, जिसमें रास्ता को क्षेत्रफल 0.0140 है0 बनता है, रिपोर्ट पेश की, सा0मि0 की गई। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 सुरायता द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थीया पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया** कि प्रार्थी द्वारा सरकारी ख.नं. 2274 रकबा 0.22 हैक्टेयर में से रास्ता चाहा है। उक्त सिवायचक भूमि प्रार्थी के नजदीक स्थित है। जो मौके पर खाड़ी व पडत है तथा प्रार्थी वर्तमान में इसी में से आवागमन कर ही है। मौके पर जांच पश्चात् नजरी नक्शा अनुसार रास्ता प्रस्तावित किया, जिसमें रास्ता को क्षेत्रफल 0.0140 है0 बनता है, रिपोर्ट पेश की। उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारो और मौतबिरानो को पढकर सुनाई गई। उक्त खसरो में आवागमन हेतु नजदीकी खसरा नंबर 2274 रकबा 0.22 हैक्टेयर में से ( 28×5 =140 वर्गमीटर/0.0140 है0 ) भूमि का प्रस्तावित रास्ता बनता है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 205396/– रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार (205396/– रू0 × 2 × 0.0140 है0 = 5752/– रूपये ) बनते है। फर्द मौका मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता ख0न0 2274 में से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। तहसीलदार, सोजत भू0अ0 निरीक्षक वृत सुरायता की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा लाल स्याही से दर्शित संलग्न पत्रावली किया गया।

बहस वकील प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रा0 पत्र एवं मौका रिपोर्टानुसार प्रार्थी को अपनी कृषि जोत भूमि सरहद मौजा धाकड़ी प0ह0 धाकड़ी तह0 सोजत के खसरा नंबर 2474/2275 रकबा 0.2350 हैक्टेयर किस्म जाव सोयम में पहुंचने के लिए 30 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी संख्या 2 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज सिवाय चक भूमि के खसरा संख्या 2274 रकबा 0.2200 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में से नया मार्ग दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में तहसीलदार सोजत ने कोई आपति नही होना जाहिर किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 सुरायता, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी के नाम दर्ज बजड़ भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, तथा निकटतम मार्ग खसरा नम्बर 2274 में से होकर पाया जाता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीया न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

## —: आदेश :—

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा धाकड़ी प0ह0 धाकड़ी तह0 सोजत के सरहद मौजा धाकड़ी प0ह0 धाकड़ी तह0 सोजत के खसरा नंबर 2474/2275 रकबा 0.2350 हैक्टेयर किस्म जाव सोयम में पहुंचने के लिए 18 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी संख्या 2 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज सिवाय चक भूमि के खसरा संख्या 2274 रकबा 0.2200 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि में से (205396/— रू0 × 2 × 0.0140 है0 = 5752/— रूपये) प्रतिकर देय राशि का भुगतान तहसीलदार, सोजत द्वारा (डी0एल0सी0 की दर से दो गुणा प्रतिकर राशि) करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड/नक्शा में अमल दरामल/तरमीम किया जावें। उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 04/03/24 को खुले इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)